दिन–शुक्रवार दिनांक– 18 / 10 / 2024

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

प्रसारणः– शाम 7.30 बजे से। अवधिः– 15 मिनट

---

01. जहरीली शराब कांड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप–प्रत्यारोप तेज।

02. तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए विधानसभा उप–चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरु। उम्मीदवार पच्चीस अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे।

03. झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय। जदयू दो जबकि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी।

04. और, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा– बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता।

———————————————————

प्रदेश में जहरीली शराब कांड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप–प्रत्यारोप को लेकर राजनीति तेज हो गयी है।

———————————————————

जहरीली शराब कांड पर राजद के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने आरोप लगाया कि शराबबंदी के नाम पर गरीब और लाचार लोगों को जेल भेजा जा रहा है।

———बाईट———

———————————————————

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जहरीली शराब त्रासदी पीड़ादायक है। श्री प्रसाद ने कहा कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

———बाईट———

———————————————————

हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जहरीली शराब कांड से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। श्री मांझी ने विपक्षी दलों पर इस कांड को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया।

———बाईट———

———————————————————

बिहार की चार विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए उप–चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरु हो गयी है।

प्रत्याशी पच्चीस अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। अट्ठाईस अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। उम्मीदवार तीस अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान तेरह नवम्बर को कराया जायेगा, जबकि मतों की गिनती तेईस नवंबर को होगी। इमामगंज सुरक्षित सीट से हम के जीतनराम मांझी, रामगढ़ से राजद के सुधाकर सिंह, बेलागंज से राजद के सुरेन्द्र प्रसाद यादव और तरारी से भाकपा–माले के सुदामा प्रसाद के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई इन सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है।

———————————————————————

झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय हो गया है। राज्य के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने रांची में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अड़सठ सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि दस सीटें आजसू पार्टी को दी गई हैं। जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ की दो सीटें जदयू को दी गईं हैं। चतरा की एक सीट चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी को दी गई है।

———बाईट———

———————————————————————

झारखंड में सीटों के बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है।

———बाईट———

———————————————————————

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह जीवन साथी स्वंय चुनने की इच्छा का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह की रोकथाम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए।

———बाईट———

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह की रोकथाम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों को बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से बनाए गये राष्ट्रीय कानून के कार्यान्वयन में बाधा नहीं बनना चाहिए। सम्बद्ध अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा करते हुए अंतिम उपाय के रूप में अपराधियों को दंडित करना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह रोकने और उसके उन्मूलन के लिए बनाया गया था।

इस अधिनियम ने 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम का स्थान लिया था। संयुक्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।

————————————————————————————

केन्द्र सरकार ने वर्ष दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए मेधावी छात्रों के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की अंतिम तिथि इस महीने की इकतीस तारीख तक बढ़ा दी है। नेशनल मीन्स कम मैरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को स्कूल नहीं छोड़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इससे छात्रों को अपनी शिक्षा बारहवीं कक्षा तक पूरी करने में मदद मिलती है। इसके तहत प्रतिवर्ष नौवीं कक्षा से एक लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता तथा स्थानीय संस्थाओं के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र पात्र हैं। प्रत्येक छात्र को प्रति वर्ष बारह हजार रूपये मिलते हैं।

————————————————————————————

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में असीम सम्भावनाएं हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि फिल्म निर्माण और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति दो हजार चौबीस बनायी है। पटना में आयोजित बिहार फिल्म कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये श्री सिन्हा ने कहा कि इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को सरकार अनुदान देगी।

———बाईट———

इस मौके पर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने फिल्म नीति को लेकर राज्य सरकार की सराहना की।

———बाईट———

————————————————————————————

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रांगण मे आज़ से तीन दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव आरंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज को नयी दिशा मिलती है।

———बाईट———

तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक सत्र आयोजित की जाएगी।

————————————————————————————

प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले चौबीस घंटों के दौरान पैंतीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बेगूसराय राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक ने बतायाकि अगले तीन से चार दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

———बाईट———

————————————————————————————

प्रदेश में डेंगू के नये मामलों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ सत्रह नये मामलों की पुष्टि हुई। इसमें पैंसठ मरीज पटना से हैं। राज्य में अबतक डेंगू के पांच हजार से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार ने डेंगू से बचाव के संबंध में जानकारी दी।

———बाईट———

————————————————————————————

परिवहन विभाग ने बिना लाईसेंस और नाबालिगों द्वारा ई—रिक्शा समेत अन्य तिपहिया वाहन का परिचालन करने पर वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही ऐसे लोगों पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये गये हैं। विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर विशेष अभियान चलाने को कहा है।

————————————————————————————

गोपालगंज जिले के सिविल कोर्ट गेट पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुख्यात अपराधी विशाल सिंह पर फायरिंग की गयी। वहीं, फायरिंग के दौरान एक अन्य युवक को भी गोली लग गई, जिसे ईलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है।

————————————————————————————

और अब अंत में मुख्य समाचार, एक बार फिर...........

01. जहरीली शराब कांड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप—प्रत्यारोप तेज।

02. तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए विधानसभा उप—चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरु। उम्मीदवार पच्चीस अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे।

03. झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय। जदयू दो जबकि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी।

04. और, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा– बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता।

————————————————————————————————

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।